

15-5-17

पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उमयपक्ष
हाजिर पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य
में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 23-5-17 को पेश है।

RP/10/15/17
[Signature]

~~23-5-17~~ पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकार उपस्थित
नहीं आये इन अ. आदेश 7 नियम 11
सी.पी.सी सुनी जाये है। पत्रावली
वास्तु आदेश है राजस्व लोक
अदालत केम्प शाहपुरा में दिनांक
23-5-17 को पेश है।

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

23-5-17 पत्रावली वास्तु आदेश पेश हुई है
पुलवाडी सं० 3 की याचने से आवेदन
अ.पारा 7 नियम 11 सी.पी.सी का
इस जांच का पेश किया है। विवादित
आराजी ख. नं० 87, 88, 89 वकि
ग्राम मजमूराद से संबंधित पत्रावली
वार सं० 77/09 इनवानी तुलसी
जनाम रामावतार का निर्णय दिनांक
8-12-16 को तथा दूसरा वाद सख्या
77/16 इनवानी पुनित 7/15 रामावतार
का निर्णय दिनांक 6-12-16 को ही
थुका है इसकी जानकारी वादी को है
किन्तु भी जन आवश्यक इस वाद को
चला रहा है। जो अनूचित वकील है
वाद का कोई कारण नहीं है इसे पत्रावली
रखने का कोई औचित्य नहीं है।

[Signature]
सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

सहायक संघ, सीकर

वाद विधी विरुद्ध है। अतः आवेदन अन्तर्देश
7 नियम 11 CPR स्वीकार किया जाकर वाद स्वर्जित
फरमाया जावे

वादि की आप्त से जकाव पेश किया गया
जिसमें दावा बंटवारा से सम्बन्धित है जिसमें पक्ष
लेखबद्ध किया जाकर बंटवारा किया जाना कानून
अति आवश्यक है। प्रकरण को लम्बीत करने
के उद्देश्य से गलत आवेदन प्रस्तुत किया गया है
जो प्रमाण दुष्प्रमाण से निरस्त किये जाने योग्य है।
वकील पक्षकारान की लक्ष सुनी गयी है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया है। वाद
मूल रूप से बंटवारा हेतु पेश किया है। जिसके
सम्बन्ध में इसी न्यायालय द्वारा पुणे में दिनांक
8-12-16 तथा 6-12-16 को निर्णय ही प्रकाशित है। अतः
इस वाद को ^{9 जरी} वाग स्वर्जन का विधी प्रोचलित नहीं है।
अतः विधि विरुद्ध भी है। अतः आवेदन अन्तर्देश
7 नियम 11 से भी स्वीकार किया जाता है।
वादि विरुद्ध होने से स्वर्जित किया जाता है।
पत्रावली केशल सुगार होकर नम्बर से काग
है। तजबीज तकनीक वकील कपठर है।
मिष्य आज शजस्त लोक अदालत केन्द्र

शाहपुरा में सुबाया गया है।

2/11/17

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) चौक